# न्यायालय अति. जिला कलेक्टर, पाली
## पीठासीन अधिकारी :: डॉ राजेश गोयल, आर.ए.एस.

**राजस्व विविध :: 140/2011**
**आर.सी.एम.एस. :: 2011/00126**

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थी |
|---|---|---|
| राज.सरकार जरिये तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन | | सायरी बेवा जीवा जाति कुम्हार निवासी सिरीयारी तहसील मा.ज. जिला पाली |

**प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956**

उपस्थित :–

1. प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार

**–:: आदेश ::–**

दिनांक : 20.3.2024

माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 9194/2012 अनवान सरका बनाम सायरी में पारित निर्णय दिनांक 23.04.2018 के द्वारा रेफरेन्स प्रकरण पुनः इस न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्राप्त हुआ है कि विवादित आराजी के आवंटन की पत्रावली का परीक्षण कर एवं तहसीलदार स्वयं से मौका रिपोर्ट मय नक्शें के साथ मंगवाने के उपरान्त उपभयपक्ष को सुनकर पुनः रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया है।

माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 23.04.2018 की पालना में प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामील के लम्बे समय से अनुपस्थित। बहस हेतु उभयपक्ष को पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी अप्रार्थी वक्त बहस अनुपस्थित होने से प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण किया जायेगा।

सरकारी पैराकार ने बहस में कथन किया कि ग्राम सिरीयारी, पटवार हल्का सिरीयारी तहसील मा.ज. जिला पाली की मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2011 के अनुसार खसरा नम्बर 116 रकबा 06 बीघा 19 बिस्वा किस्म गै.मु. नाडा तथा जमाबन्दी सम्वत् 2066–2069 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 512 रकबा 1.2267 हैक्टेयर किस्म गै.मु. नाडा बारानी दोयम दर्ज है। उक्त भूमि का आवंटन/नियमन तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सोजत द्वारा अप्रार्थी के पति जीवा के पक्ष में दिनांक 06.10.1980 को कर दिया जिसकी पालना में स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 211 के द्वारा अप्रार्थी के पति जीवा को बतौर खातेदार दर्ज किया गया। आवंटी जीवा के फौत होने पर विरासत नामान्तकरण संख्या 388 अप्रार्थी के पक्ष में खातेदारी का स्वीकृत होने से अप्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज हुई। जमाबंदी संवत 2066–2069 के अनुसार अप्रार्थी के नाम उक्त खसरा नम्बर की भुमि बतौर खातेदारी दर्ज है। तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार भी खसरा नम्बर 512 रकबा 1.2267 हैक्टेयर किस्म गै.मु. नाडा के खातेदार सायरी बेवा जीवा कौम कुम्हार निवासी सिरयारी है तथा मौके पर उक्त खसरा खेत बन गया है एवं वर्तमान में खातेदार द्वारा फसल बोई हुई है लेकिन राजस्व रेकर्ड अनुसार किस्म गै.मु.नाडा दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार ऐसी भुमि का आवंटन एवं नियमन पर प्रतिबंध है। अप्रार्थी के पति

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलक्टर, पाली

जीवा पुत्र पुका के पक्ष में उक्त आराजी का आवंटन/नियमन नियमों के परे जाकर किया गया है, किस्म परिवर्तन करने का अधिकार आवंटन नियमन सलाहकार समिति को नही है जो निरस्त किये जाने योग्य है। साथ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये दिशा निर्देशों की पालना में जैर प्रार्थना पत्र आराजी की किस्म पुनः पुर्व की स्थिति बहाल किया जाना है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर को भी निरस्त करते हुये उक्त भूमि की किस्म पुनः गैर मुमकिन नाडा दर्ज कराने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित किया जावे।

हमने सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। ग्राम सिरीयारी, पटवार हल्का सिरीयारी तहसील मारवाड़ जंक्शन के खसरा नम्बर 116 रकबा 06 बीघा 19 बिस्वा किस्म गै.मु. नाडा तथा जमाबन्दी सम्वत् 2066–2069 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 512 रकबा 1.2267 हैक्टेयर किस्म गै.मु.नाडा बारानी दोयम दर्ज है जिसका आवंटन/नियमन तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सोजत द्वारा अप्रार्थी के पति जीवा पुत्र पुका के पक्ष में दिनांक 06.10.1980 को कर दिया जिसकी पालना में स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 211 के द्वारा अप्रार्थी के पति जीवा को बतौर खातेदार दर्ज किया गया। चुकि जैर प्रार्थना पत्र आराजी पूर्व में वक्त आवंटन/नियमन गै.मु.नाडा दर्ज थी तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार ऐसी भुमि के आवंटन एवं नियमन पर प्रतिबंध है इसलिए अप्रार्थी के पक्ष में किये गये उक्त आवंटन/नियमन विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

आवंटी जीवा के फौत होने पर विरासत नामान्तकरण संख्या 388 अप्रार्थी के पक्ष में खातेदारी का स्वीकृत होने से अप्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज हुई। जमाबंदी संवत 2066–2069 के अनुसार तथा तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार भी खसरा नम्बर 512 रकबा 1.2267 हैक्टेयर किस्म गै.मु.नाडा के खातेदार सायरी बेवा जीवा कौम कुम्हार निवासी सिरयारी है व मौके पर उक्त खसरा खेत बन गया है एवं वर्तमान में खातेदार द्वारा फसल बोई हुई है लेकिन राजस्व रेकर्ड अनुसार किस्म गै.मु.नाडा दर्ज है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 से पूर्णतः प्रभावित होने से आवंटन कमेटी द्वारा किए गए आवंटन/नियमन आदेश दिनांक 06.10.1980 एवं उसकी पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 211 व इसके पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 388 को कायम रखा जाना विधि सम्मत नहीं है।

अतः अप्रार्थी के पति को गैर मुमकिन नाडा किस्म की भूमि का आंवटन हुआ है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित श्रेणी में है। साथ ही माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय में प्रदत्त निर्देशों की पालना में मूल आवंटन रिकोर्ड एवं तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट के विवेचन से स्पष्ट है कि मौके पर उक्त खसरा खेत बन गया परन्तु राजस्व रेकर्ड अनुसार किस्म गै.मु.नाडा दर्ज है जो अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय से पूर्णतः प्रभावित होने से आवंटन कमेटी द्वारा किए गए आवंटन/नियमन एवं उसकी पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

अति. जिला कलक्टर, पाली

परिणामस्वरुप तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अप्रार्थी के पति जीवा पुत्र पुका जाति कुम्हार के पक्ष में आवंटन कमेटी द्वारा किया गया आवंटन/नियमन आदेश दिनांक 06.10.1980 एवं उसकी पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 211 व इसके पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 388 को निरस्त फरमाया जाकर जैर प्रार्थना पत्र आराजी की किस्म पुनः गैर मुमकीन नाडा एवं भूमि को सरकारी खाते में दर्ज करवाने का आदेश प्रदान करावें।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

(डॉ राजेश गोयल)
अति.जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली